



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3681 सन् 2026

मोहम्मद मोसिन

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : महताब आलम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., जय प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर करते हुए प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के आश्रितों की भर्ती संबंधी नियम, 1974 (संक्षेप में, "नियम, 1974") के प्रावधानों के तहत सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दें। और यह भी प्रार्थना की जाए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

मामले के संक्षिप्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि नूर जहाँ बेगम सैयद मोहम्मद फ़ाज़िल हुसैन की विधिवत विवाहित पत्नी थीं। नूर जहाँ को वर्ष 1985 में सहायक शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया गया था और 6 अगस्त 1998 को सेवाकाल में उनका निधन हो गया। नूर जहाँ बेगम की मृत्यु के बाद, उनके पति ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। अधिकारियों ने सैयद मोहम्मद फ़ाज़िल हुसैन को नूर जहाँ का पति माने बिना ही सैयद मोहम्मद फ़ाज़िल हुसैन (याचिकाकर्ता के पिता) के दावे को अस्वीकार कर दिया। उक्त से व्यथित होकर, सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 26064/2009 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 17.01.2024 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ किया गया कि यदि कोई अनुवर्ती आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दायर किया जाता है, तो संबंधित प्रत्यर्थी विवेकपूर्वक निर्णय द्वारा, शीघ्रता से, विधि के अनुसार उसका निस्तारण करने का हर संभव प्रयास करेगा।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर ने दिनांक 09.09.2025 को याचिकाकर्ता के पिता के दावे को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के पिता सैयद मोहम्मद फाजिल हुसैन को दिनांक 06.12.2025 को पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई। पारिवारिक पेंशन के भुगतान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुल 82,368/- रुपये की राशि सैयद मोहम्मद फाजिल हुसैन (पति के रूप में उल्लिखित), श्रीमती नाजुक जहां (पुत्री के रूप में उल्लिखित), मोहम्मद आसिफ (पुत्र के रूप में उल्लिखित) और मोहम्मद मोसिन (पुत्र के रूप में उल्लिखित) के बीच पारिवारिक पेंशन के रूप में वितरित की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो सैयद मोहम्मद फाजिल हुसैन का पुत्र और नूर जहां का सौतेला पुत्र है, पारिवारिक पेंशन का पात्र माना गया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता नियमावली, 1974 के नियम-2(सी) के अंतर्गत परिभाषित 'परिवार' के दायरे में आता है। याचिकाकर्ता नियमावली, 1974 के तहत सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पूर्णतः योग्य और शिक्षित है। उसने दिनांक 17.02.2026 को प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। यह आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष विचाराधीन है, अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाए कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर इस पर निर्णय ले।

प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पहली बार वर्ष 2026 में नूर जहाँ (याचिकाकर्ता की सौतेली माँ) की मृत्यु (वर्ष 1998) के लगभग 28 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, हालांकि, उक्त आवेदन दाखिल करने में देरी का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि संलग्नक संख्या 3 में संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी किया गया है, इसलिए अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई से पीड़ित है।

सहारनपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2025 को पारित आदेश, जो रिट याचिका के पृष्ठ-15 पर संलग्न है, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2024 को रिट-ए अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 26064/2009 में पारित आदेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, दो प्रमाण पत्रों का उल्लेख करता है। इनमें से एक प्रमाण पत्र दिनांक 14.12.1998 में मृतक नूर जहाँ के एकमात्र परिवार सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता के पिता सैयद मोहम्मद फाजिल हुसैन (45 वर्ष) का नाम दर्ज है। वहीं, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 29.03.2005 को जारी एक अन्य पत्र में मृतक नूर जहाँ के परिवार सदस्यों के रूप में छह व्यक्तियों का नाम दर्ज है, जिनमें सैयद मोहम्मद फाजिल हुसैन (पति) और पाँच सौतेले पुत्र शामिल हैं। इसमें श्रीमती नाजुक जहाँ का नाम नहीं है, जिन्हें पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है और दिनांक 06.12.2025 के दस्तावेज़ में उन्हें पुत्री के रूप में दर्शाया गया है।

अभिलेख से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 05.01.2026 को दायर आवेदन में, जिसमें उसने स्वयं को मृतक नूर जहाँ का सौतेला पुत्र बताया है, कुछ पूर्व रिट याचिकाओं का उल्लेख किया गया है, जिनका खुलासा इस रिट याचिका में नहीं किया गया है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में कोई मामला सिद्ध करने में विफल रहा है।

रिट याचिका गुणहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

18 मार्च, 2026

डीएस